संख्या- 30/2015/812/43-1-2015-25(7)/2015

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2015

विषय :- उत्तर प्रदेश सूचना अयोग के कार्यहित में रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार की सेवा से अवकाश प्राप्त कार्मिकों को निर्धारित अवधि के लिए संविदा पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-581/सचिव/रा0सू0आ0उ0प्र0/2015, दिनांक 8-5-2015 का सन्दर्भ गहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप के उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जब तक सेवा नियमावली का प्रख्यापन नहीं हो जाता है, तब तक सेवा आयोग के कार्यो सफलतापूर्वक संचालन हेतु रिक्त पदों पर राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को अधिकतम एक वर्ष तक संविदा पर रखे जाने की अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैं :-

(1) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक का वेतन उस कार्मिक द्वारा सेवानिवृत्ति के समय पाये जा रहे वेतन में से उसकी पेंशन को घटाकर कर प्राप्त धनराशि अथवा जिस पद पर संविदा पर तैनाती की जा रही है, उस पद के वतनमान के प्रारम्भिक बिन्दु पर देय कुल परिलब्धि, जो भी कम हों, के बराबर होगा एवं संविदा पर कार्य करने की अवधि तक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नही होगी।

(2) एक वर्ष पश्चात् कार्मिकों का चयन प्रख्यापित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ही किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग अशा0सं0-ई-9/335/दस/2015, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-30/2015/812(1)/43-1-2015 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।